मीरा बंसल बनाम रामखिलाडी

मु.नं. 81/2023(दावा)

08.05.2024

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से ग्राम करणपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 480/0.34, 480/1/0.26, 500/0.10, 501/0.08, 516/0.15 कुल किता 5 कुल रकबा 0.93 हैक्टयर का विभाजन करने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 09.02.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार महवा को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार महवा से विभाजन स्कीम प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 की ओर से विभाजन स्कीम पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि दिनांक 28.03.2024 को तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम को खारिज फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण को सिरस निरस अनुसार एन.एच.11 पर भूमि देते हुए बंटवारा स्कीम पुनः मंगवाने के आदेश फरमावें।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को आपत्ति व अंतिम बहस पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 7 ने अपने जबाब दावा में अंकित किया है कि श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र राजू बनाम मीरा बंसल पेश किया गया । उक्त दोनो दावा के पक्षकार एवं आराजी समान होने के फलस्वरुप इन्हे समेकित किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को देखने से यह जाहिर होता है कि उन्होंने खसरा नम्बर 480/2 को उन्हें दिये जाने का निवेदन किया है जिसमें तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम को देखने से ज्ञात होता है कि कुछ प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी बंटवारा स्कीम में हो रहे है तथा आपत्ति प्रस्तुत करने वाले प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर उस पर नहीं है लेकिन कुछ प्रतिवादीगण की मौजूदगी यह दर्शाती है कि बंटवारा स्कीम

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

तहसीलदार महवा द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार की है जोकि मौके के अनुसार ही है। इस कारण उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा भी वादिया का ही है। इससे सिद्व होता है कि प्रतिवादी सं. 1 लगायँत 7 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

हमने तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया। वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में जो हिस्सा बनता है उसी अनुरूप से डिक्री करना उचित समझते है। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम अनुसार खातेदारान में निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:—

क्र. सं.	नम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	मीरा पत्नि धनश्यामदास जाति महाजन नि. एम 118—बी महेश कोलोनी लक्ष्मी फाटक टौंक रोड जयपुर	516 480 / 2	0.15 0. 0733	चाही—1 चाही—1
	योगः—	2	0. 2233	
2.	मीरा पत्नि धनश्यामदास जाति महाजन हि.866 / 2600 नि. एम—118 महेश कोलोनी लक्ष्मी फाटक टौंक रोड जयपुर(बिला रहन) गोपाल पुत्र किशोरी हि. 867 / 5200, भौतिदेवी पत्नि नेपाल,नन्दलाल—रामखिलाडी पुत्र नेपाल हि.ब.हि.867 / 5200 राहिन यूनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा रामगढ, लक्ष्मी पत्नि हरपाल,कैलाश राजू लक्ष्मण पि. हरपाल हि.ब.हि. 867 / 5200 राहिन यूको बैक शाखा महवा। किशनी पत्नि रामपाल, मुकेश मूलचंद रोशन पि. रामपाल हि. ब.हि.867 / 5200 सभी जाति	480 / 1	0. 2600	गै.मु. रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

	बैरवा नि. पीपलखेडा			

3.	गोपाल पुत्र किशोरी हि. 1/4, भौतीदेवी पत्नि नेपाल नन्दलाल रामखिलाडी पि. नेपाल हि. 1/4 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रामगढ, लक्ष्मी पत्नि हरपाल कैलाश राजू लक्ष्मण पि. हरपाल हि. 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा महवा, किशनी पत्नि रामपाल, मुकेश मूलचंद रोशन पि.रामपाल हि1/4 सभी जाति बैरवा निवासी पीपलखेडा।	480/3 500 501	0. 2667 0. 1000 0. 0800	वरानी–3 चही–2 चही–1
	योग–	3	0. 4467	

अतः वादिया का वाद अंतिम रूप डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम करणपुर तहसील महवा में स्थित है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी में आयी आराजीयात के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पनन नहीं करे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियां कराने के अधिकारी होगे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लाखन सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा